

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अयोध्या।

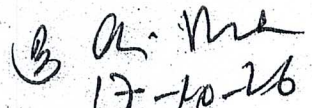
प्रकीर्ण आदेश सं०-445/2026, दिनांकित: 17 अक्टूबर 2026

जनपद न्यायालय अयोध्या में कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिए स्थानीय अवकाश हेतु पारित प्रकीर्ण आदेश संख्या-23/2026, दिनांकित 13 जनवरी, 2026 के संदर्भ में दि फैजाबाद बार एसोसिएशन, अयोध्या द्वारा पत्रांक संख्या-261 दिनांकित-17.10.2026 के माध्यम से दिनांक 19.10.2026 को महानवमी पर्व के अवसर पर शासन द्वारा पत्रांक संख्या 671/3-2025 के माध्यम से सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने तथा अधिवक्तागण की धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और हवन आदि में सम्मिलित होने के कारण न्यायालय में उपस्थित न हो पाने को दृष्टिगत रखते हुए, दीपावली त्योहार हेतु दिनांक 11.11.2026 को घोषित अवकाश के स्थान पर दिनांक 19.10.2026 को अष्टमी/महानवमी का अवकाश स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। दि फैजाबाद बार एसोसिएशन, अयोध्या द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम में, अतिरिक्त अवकाशों के संबंध में पूर्व में पारित उपरोक्त प्रकीर्ण आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है, जो निम्नवत् है-

1. महाशिवरात्रि पर्व दिनांक 15.02.2026 दिन रविवार को पड़ने के कारण उसके एवज में दिनांक 10.11.2026 (मंगलवार) को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया गया था, के स्थान पर अब दिनांक 19.10.2026 (सोमवार) को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है।
2. दीपावली अवकाश दिनांक 08.11.2026 दिन रविवार को पड़ने के कारण उसके एवज में दिनांक-11.11.2026 (बुधवार) को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया गया था, के स्थान पर अब दिनांक-10.11.2026 (मंगलवार) को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है। तदनुसार दिनांक-11.11.2026 (बुधवार) को घोषित अतिरिक्त अवकाश निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त मूल प्रकीर्ण का शेष आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

तदनुसार आदेश की एक प्रति जिलाधिकारी अयोध्या, जिला अधिवक्ता संघ अयोध्या एवं अधिष्ठान के समस्त न्यायालयों/कार्यालयों/ग्राम न्यायालयों को सूचनार्थ भेजी जाय। माननीय उच्च न्यायालय को भी नियमानुसार सूचना भेजी जाय।


17-10-26
(रणजय कुमार वर्मा)
जनपद न्यायाधीश
अयोध्या।

संख्या- 6407

/अयोध्या/दिनांक:-13/10/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त न्यायालय/कार्यालय, जनपद न्यायालय, अयोध्या।
2. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना जनपद न्यायालय अयोध्या की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिलाधिकारी, अयोध्या।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
5. समस्त ग्राम न्यायालय, रुदौली, बीकापुर एवं मिल्कीपुर के पीठासीन अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित बार को सूचित करें।
6. अध्यक्ष/महामंत्री, फैजाबाद बार एसोसिएशन, अयोध्या।
7. अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।
8. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, अयोध्या।
9. जिला सूचना अधिकारी, अयोध्या को समाचारपत्रों में निःशुल्क प्रकाशन द्वारा प्रचार प्रसार हेतु।
10. सम्पादक, दैनिक समाचारपत्र को प्रकाशनार्थ।
11. नोटिस बोर्ड।
12. सम्बन्धित पत्रावली।

आदेशानुसार,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय,
अयोध्या।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जनपद-न्यायालय
अयोध्या